बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप)

संचिका संख्या – 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021 4342 **पटना, दिनांक :–** 7/12/2022

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या – 01/2019 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण संविदा पद पर निम्नांकित कर्मियों का नियोजन कॉलम – 2 में अंकित पत्रांक एवं दिनांक के माध्यम से करते हुए विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है :–

क्र0	पत्रांक दिनांक	आई0डी0 संख्या	नाम	पिता का नाम	पदस्थापन जिला	स्थायी पता/गृह जिला	ई–मेल	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10680 01.09.2020	AEN02740	श्री रंजन कुमार	श्री बाबू चन्द प्रसाद	लखीसराय	VILL-LAKHRAWAN, PO-PACHOURI,DIST-NALANDA (BIHAR)803101	ranjankumar600@rediffmail.com	Controller of Examination Bharathidasan University, Tiruchirappalli	UG/Diploma Verification//Oct. 2022/01 Dated 10-10-2022	The Certificates sent by you for Verification are not issued by the Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamilnadu

उपरोक्त संविदा कर्मियों के नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंनीनियरिंग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को भेजा गया था। विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन में उपरोक्त संविदा कर्मी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की पुष्टि नहीं की गयी एवं फर्जी बताया गया। प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में नैसर्गिक न्याय के तहत उक्त संविदा कर्मी से फर्जी "डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग" प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त करने के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

संबंधित कर्मी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के संदर्भ में कोई विशिष्ट तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन को खंडित करता हो। अतः विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उपरोक्त कर्मी गलत/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गये हैं।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका – 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त कर्मी का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

7/12/22

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 01/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0अमीन(फर्जी अभिलेख)–30/2021 4342 **पटना, दिनांक** – 7/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित कर्मी से अब तक भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई नियमानुसार करते हुए फर्जी कागजातों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

7/12/22

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप